रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2118] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2015/आश्विन 8, 1937
No. 2118] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2015/ASVINA 8, 1937

IndiaCode

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2015

का.आ. 2675(अ).— आँकड़ों के संग्रहण संबंधी नियमावली, 2011 के नियम 5 एवं 7 के साथ पठित आँकड़ों का संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार एतदद्वारा–

(i) उस समय लागू किसी कानून के तहत मान्यताप्राप्त या पंजीकृत किसी व्यक्ति या फर्म या सहकारी समिति या कंपनी या सोसाइटी या किसी एसोसिएशन जो विदेश व्यापार (निर्यात एवं आयात) में प्रत्यक्ष रूप से या सहयोगी कंपनियों द्वारा संलग्न है, से इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची-I में उल्लिखित विवरणों के अनुसार ऐसे व्यापार के प्रभाव का मूल्याँकन करने के लिए आवश्यक संबंधित सूचना सहित, आँकड़ों के संग्रहण का निदेश देती है ;

(ii) उपर्युक्त अधिनियम के तहत सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए इस अधिसूचना की **सूची–II** में दिए गए विवरण के अनुसार श्री अमिताभ प्रधान, उप महानिदेशक को सांख्यिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है ;

(iii) इस अधिसूचना के तहत सॉख्यिकीय पदाधिकारी के रूप में नियुक्त पदाधिकारी को, इस अधिसूचना के तहत आँकड़ों का संग्रहण करने के उद्देश्य से अर्थात जिसके अंतर्गत अपेक्षित विवरण या समयावधि जिसके भीतर तथा सॉख्यिकीय पदाधिकारी जिसको सूचनादाता द्वारा सांख्यिकी सूचना प्रस्तुत की जाएगी, को धारा 4 की उप–धारा (5) के तहत केन्द्रीय सरकार को प्राप्त सभी शाक्तियाँ सौंपती है ; और

(iv) आँकड़ों का संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 4 की उप–धारा(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ अर्थात् एजेंसियाँ या ऐसी एजेंसियों में कार्यरत व्यक्तियों को नियुक्त करने या किसी एजेंसी या कंपनी या संगठन या व्यक्तियों का संघ आंकडों का संग्रहण अधिनियम, 2008 की उप–धारा (2) एवं (3) द्वारा इसे प्रदत्त

भौगोलिक इकाई के भीतर जिसके लिए ऐसे सॉख्यिकीय पदाधिकारी नियुक्त किये जाते हैं, को संविदा आधार पर नियोजित करने का अधिकार साँख्यिकीय अधिकारी को सौंपती है ।

सूची-I

ऑकड़ों के संग्रहण हेतु विषय एवं उद्देश्य : -

भारत की सेवाओं में व्यापार प्रवाह के समग्र पैटर्न की जांच हेतु सूचना प्रौद्यौगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं, दूरसंचार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रक्षा, प्रोफेशनल, लॉजिसटिक्स, शिक्षा, बीमा, श्रव्य-दृश्य, वित्तीय आदि के क्षेत्र में सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (निर्यातों एवं आयातों) से संबंधित आँकड़ें; सेवा व्यापार सामान्य करार (जीएटीएस) ढ़ांचे के तहत चार मोड के अनुसार सेवाओं के प्रमुख निर्यात और आयात का विश्लेषण करना, जीएटीएस के तहत चार मोड के अनुसार सेवाओं में व्यापार से प्राप्तियों और भुगतान के प्रतिमान का विश्लेषण करना; देश और क्षेत्रीय स्तर पर सेवा व्यापार के निर्यात और आयात की दिशा का विश्लेषण करना; विभिन्न सेवाओं में व्यापार में लगे कार्मिकों के रोजगार पैटर्न का विश्लेषण करना; देश के स्तर पर और प्रदत सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में सेवा व्यापार में बाधाओं का अभिज्ञान करना ।

2. ऑकड़ो के संग्रहण हेतु भौगोलिक क्षेत्र :-

जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत के लिए ऑकड़ों का संग्रहण लागू होगा ।

3. ऑकड़े संग्रह करने की पद्धति

आँकड़ों का संग्रहण तिमाही या अर्धवार्षिक या वार्षिक रिटर्नों के जरिये होगा । प्रारूप एवं तरीका (मौखिक साक्षात्कारों या इलेक्ट्रानिक रूप से रिटर्न भरने सहित) वाणिज्य विभाग से परामर्श करके वाणिज्यिक आसूचना एवं साँख्यिकी महानिदेशक, द्वारा निर्धारित किया जाएगा तथा सूचना प्रदाताओं को या तो व्यक्तिगत रूप से या संचार मीडिया के जरिये सूचित किया जाएगा ।

4. सूचना प्रदाताओं की प्रकृति जिनसें आँकड़े एकत्र किए जाएगें ।

प्रत्येक सूचना प्रदाता द्वारा त्रैमासिक अथवा अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक विवरणियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी और इसमें स्वामी अथवा पट्टेदार अथवा प्रभारी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों अथवा साझेदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत पंजीकृत फर्म के संबंध में उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा सहकारी समिति अधिनियम, 1912 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी अथवा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी अथवा इस समय प्रभावी कानून के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अथवा पंजीकृत कोई संगठन शामिल है ।

5. अवधि जिसके दौरान ऑकड़ों का संग्रहण पूरा किया जाएगा :-

वह अवधि जिसके दौरान सूचना दी जानी है वह सूचना प्रदाता को जारी नोटिस में इंगित होगी । सामान्य रूप से, त्रैमासिक अथवा अर्धवार्षिक विवरणी के मामले में यह कार्य एक माह के भीतर और वार्षिक विवरणी के लिए दो माह के भीतर पूरा किया जाएगा ।

6. संदर्भ अवधि :-

सूचना त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक अथवा वार्षिक (वित्तीय वर्ष अथवा कैलेंडर वर्ष) की विवरणियों, जैसे भी स्थिति हो, के रूप में प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

7. संग्रह की जाने वाली सूचना की प्रकृति :-

एकत्रित की गयी सूचना मुख्य रूप से निर्यातित एवं आयातित सेवा की श्रेणी के साथ-साथ सेवाओं में व्यापार पर सामान्य करार के अंतर्गत चार तरीकों से तथा भागीदार देश द्वारा सेवा के निर्यात एवं आयात के मूल्यों, रोजगार,

IndiaCode

विदेशी निवेश (आंतरिक एवं बाह्य दोनों), व्यापार में बाधाओं और इस अनुसूची के पैरा एक में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए आवश्यक अन्य विषयों, से संबंधित होगी ।

8. भाषा जिसमें सूचना प्रदाता सूचना प्रस्तुत करेगा :-

सूचना प्रदाता केवल अँग्रेजी में ही निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रदान करेगा ।

9. सूचना : प्रदाता का दायित्व :-

सूचना प्रदाता वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा निर्धारित तरीके और दिनांक तक सूचना प्रदान करेगा। वह जॉच के लिए महत्वपूर्ण रिकार्डों को प्रदान करेगा और मांगी गयी सूचना के संबंध में प्रश्नों का जवाब देगा जैसा कि सांख्यिकी अधिकारी द्वारा उसके द्वारा अधिकृत किए गए व्यक्ति द्वारा यथापेक्षित होगा ।

10. व्यवसाय रिकार्ड एवं अन्य रिकार्डों की प्रकृति जिनका निरीक्षण किया जा सकता है :-

किसी यूनिट के व्यवसाय रिकार्ड जैसे तुलना पत्र, लाभ एवं हानि लेखे, वेतन रोल, निदेशक की रिपोर्ट या यूनिट द्वारा प्रदान की गयी सूचना के समर्थन में दिए गए किसी कानूनी दस्तावेज का सांख्यिकी अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

11 निरीक्षण का ढंग

वाणिज्यिक आसूचना सांख्यिकी महानिदेशक या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी यूनिट के व्यवसाय एवं अन्य रिकार्डों के आधार पर यूनिट द्वारा प्रदान की गई सूचना की जॉच कर सकता है और संबंधित मालिक या व्यापारी या यूनिट के प्रबंधन द्वारा अधिकृत व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकता है ।

अनुसूची-II

क्रम सं.	सांख्यिकी अधिकारी	पता	क्षेत्राधिकार
1.	श्री अमिताभ प्रधान उप–महानिदेशक दूरभाष: 91-33-24431993 फैक्स 033-24434051 ई-मेल a.pradhan.dgcis@nic.in	वाणिज्यक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, वाणिज्य तथ्य सदन, 565, आनंदपुर, वार्ड सं.–108, सेक्टर–1, प्लाट सं. 22, ईसीएडीपी, कोलकत्ता–700107	जम्मू काश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत

[फा. सं. 34/12/2003-टीपीडी (सेवाएं)]

सुधांशु पाण्डेय संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2015

S.O. 2675(E).— In exercise of the powers conferred by sections 3 and 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011, the Ministry of Commerce and Industry, Government of India hereby—

(i) directs collection of statistics from an individual or a firm or a co-operative society or a company or a society or any association recognised or registered under any law for the time being in force which is engaged in foreign trade (export and import), whether directly or by affiliates, including related information necessary for assessing the impact of such trade as per the details mentioned in Schedule-I appended to this notification;

(ii) appoints Shri Amitabha Pradhan, Deputy Director General as Statistics Officer, as detailed in Schedule-II of this notification, to exercise all or any of the powers under the said Act;

(iii) delegates to the Statistics Officer under this notification, all the powers of the Central Government conferred on it under sub-section (5) of section 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 for the purpose of collection of statistics under this notification, namely, the particulars required or the interval within which, and the statistics officer to whom, the statistical information by informants shall be furnished; and

(iv) delegates to the Statistics Officer, powers conferred by sub-section (4) of section 4 of Collection of Statistics Act, 2008, i.e., the powers of appointing agencies or persons working in such agencies or employing on contract basis any agency or company or organisation or association of person conferred on it by sub-sections (2) and (3) of the Collection of Statistics Act, 2008 within the geographical unit for which such statistics officers are appointed.

India Code

SCHEDULE-I

1. Subject and purpose for collection of Statistics:-

Statistics related to international trade (exports and imports) of services in the areas of Information Technology & Information Technology enabled Services, Telecommunication, Medical and Healthcare, Professional, Logistics, Education, Insurance, Audio-visual, Financial etc., in order to examine the overall pattern of trade flows in India's services; analyse the major export and import of services as per the four modes under General Agreement on Trade in Services (GATS) framework; analyse the pattern of receipts and payments from trade in services as per the four modes under GATS; analyse the direction of export and import of trade in services at country and regional level; estimate and analyse the employment pattern of personnel engaged in trade in various services; identify the barriers to trade in services at country level and in different categories of services provided etc.

2. Geographical area for collection of statistics:-

The collection of statistics shall be applicable to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

3. Method of data collection:-

The collection of statistics shall be through quarterly or half-yearly or annual returns. The formats and manner (including oral interviews or filing of returns electronically) shall be prescribed by the Director General of Commercial Intelligence and Statistics in consultation with the Department of Commerce and shall be notified to the informants either individually or through mass media.

4. Nature of informants from whom data may be collected:-

The quarterly or half-yearly or annual returns shall be made available by every informant which includes a owner or occupier or person in-charge or his authorised representative in respect of persons or a firm registered under the Partnership Act, 1932 or a co-operative society registered under any Co-operative Societies Act, 1912 or a company registered under the Companies Act, 2013 or a society registered under the Societies Registration Act, 1860 or any association recognised or registered under any law for the time being in force.

5. Period during which collection of statistics may be completed:-

The period during which information is to be supplied shall be indicated in the notice served to the informant. Generally, in case of quarterly or half-yearly return, the same shall be completed within one month and for annual returns within two months.

6. Reference Period:-

Information is required to be furnished in the form of returns for quarter, half-year or annual (financial year or calendar year), as the case may be.

7. Nature of Information to be collected:-

The information collected shall mainly relate to category of services exported and imported as well as value of exports and imports of services as per the four modes under General Agreement on Trade in Services and by partner country, employment, foreign investment (both inward and outward), barriers to trade and other related subjects required for the purposes as mentioned in paragraph I of this Schedule.

8. Language in which information is to be furnished by informants:-

An informant shall furnish information in the prescribed format only in English.

9. Obligation of Informant:-

The informant shall furnish information in the manner and by the date as prescribed by the Director General of Commercial Intelligence and Statistics. He shall also furnish relevant records for inspection and answer the questions in relation to the information sought, as may be required by the Statistics Officer or a person authorised by him.

10. Nature of business records and other records which may be inspected:-

Business records of a unit, such as balance sheet, profit and loss account, pay rolls, Director's report or any other legal document in support of the information furnished by the unit may be inspected by the Statistics Officer or a person authorised by him.

11. The manner of inspection:-

Director General of Commercial Intelligence and Statistics or a person authorised by him may verify the information furnished by the unit on the basis of business and other records of the unit and seek clarifications from the concerned owner or trader or a person authorized by the management of the unit.

Schedule-II

Sr No.	Statistics Officer	Address	Jurisdiction
1	Sri Amitabha Pradhan, Deputy Director General, Ph:+91-33-24431993 Fax:033-24434051 E-mail: a.pradhan.dgcis@nic.in	Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Vanijya Tathya Sadan, 565, Anandapur, Ward No. 108 Sector-1, Plot No. 22, ECADP, Kolkata-700107	All over India except the State of Jammu and Kashmir

[F. No. 34/12/2003-TPD(Services)

SUDHANSHU PANDEY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.